न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- हरि राम मीना आर.ए.एस.

...ल संख्याः- 22 / 2021
...सी.एम.एस .संख्याः- 2021 / 42

(223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. रतनलाल पुत्र अम्बालाल जाति मीना (फौत)
1/1 मेघराज पुत्र रतनलाल मीना
1/2 राजेश कुमार पुत्र रतनलाल मीना
1/3 अशोक कुमार पुत्र स्व0 किशनलाल मीना
1/4 रामजस पुत्र स्व0 किशनलाल मीना
1/5 हरेशी पुत्री स्व० किशनलाल मीना
1/6 नरेशी पुत्री स्व० किशनलाल मीना
1/7 केसरदेवी बेवा स्वर्गीय रतनलाल मीना
1/8 जगन्नाथी देवी पुत्री स्व० रतनलाल मीना
1/9 कृष्णादेवी पुत्री स्व० रतनलाल मीना
1/10 मोसमी देवी पुत्री स्व० रतनलाल मीना
2. परशराम पुत्र अम्बालाल जाति मीणा
समस्त निवासीयान ग्राम पडाना तहसील व जिला सवाई माधोपुर

...अपीलांटगण।

बनाम

1. श्रीनारायण पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी खाटकला तहसील व जिला सवाई माधोपुर (फौत)

/1. मु0 चतरी पत्नी श्रवण पुत्री श्रीनारायण जाति मीना निवासी ग्राम भूरी पहाडी तहसील ...ण्डार जिला सवाई माधोपुर ।

/2. मु०पाना पत्नी प्रभूलाल पुत्री श्रीनारायण जाति मीना निवासी ग्राम भूरी पहाड़ी तहसील ...ण्डार जिला सवाई माधोपुर ।

/3. मु० नाथी पत्नी अंगद पुत्री श्रीनारायण जाति मीना निवासी ग्राम भेडोली तहसील बौंली ...जला सवाई माधोपुर पैत्रिक ग्राम खाटकला ...

2. टीकाराम

3. हनुमान पिसरान गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम ... तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

...अपील अधिकारी
...वाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

4. सरकार जरिये लैण्ड़ होल्डर तहसीलदार, सवाई माधोपुर।
5. सवाई माधोपुर भूमि विकास बैंक लिमिटेड सवाई माधोपुर जरिये शाखा प्रवन्धक।

.....रेस्पोडेन्टान।

उपस्थितः–

1. श्री आर0 एस0 जोगी अधिवक्ता अपीलांटगण।
2. श्री राजेश कुमार मीना अधिवक्ता अपीलांटगण।
3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ।
4. शेष रेस्पोडेन्ट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं।

–::निर्णय::–

दिनांक 02.01.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखण्ड सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 183/07 बउनवान रतनलाल वगैरहा बनाम श्रीनारायण वगैरहा में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 30.03.2021 के विरुद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण द्वारा अदालत मातहत उपखण्ड़ अधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष वाद पत्र बाबत् घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवम् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर ने दिनांक 30.03.2021 को मुकदमा नम्बर 183/07 बउनवान रतनलाल वगैरहा बनाम श्रीनारायण वगैरहा को खारिज कर दिया, तथा डिक्री विरूद्व अपीलार्थीगण जारी कर दी। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजीयात वाके ग्राम पड़ाना जिला सवाई माधोपुर खसरा नम्बर 300 रकबा 0.85 हैक्टेयर, 301 रकबा 0.34 हैक्टेयर जिसमे सेटलमेंट संवत् 2004–2023 में गत खसरा नम्बर 165 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा पर अपीलांटगण का पूर्वजों से ही पैतृक खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि रहती चली आ रही है। परन्तु सेटलमेन्ट कर्मचारीगण की गलती के कारण विवादित आराजीयात माफी घासीदास वल्द नाथूदास बाबाजी निवासी श्यामपुरा के नाम दर्ज कर दी गई। संवत् 2017 में रेस्पोडेन्टगण के पिता [illegible] निवासी खाट कलां के नाम बिना किसी अधिकार व आदेश के कृषक ख[illegible]ज कर दिया गया है। रेस्पोडेन्टगण कभी भी भौतिक रूप से विवादित आ[illegible] पर काबिज काश्त नहीं रहे। दिनांक 18.07.87 को स[illegible] कि विवादित आराजीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रेस्पोडेन्टगण एवं इनके पूर्वजों के नाम चली आ रही है। अपीलांट/वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में नकल प्रदर्श 01 लगायत 10 व गवाह 01 व 02 के बयान करवाए गए। परन्तु अदालत मातहत द्वारा साक्ष्य दस्तावेजों व शपथपत्रों को नजरअंदाज करते हुये निर्णय पारित किया है जो अपारत योग्य है। अपील स्वीकार फरमायें जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.21 को अपारत किया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

5. हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 300 व 301 जमाबंदी संवत् 2063–2066 वाके ग्राम पडाना तहसील सवाई माधोपुर में खाता संख्या 263 में श्रीनारायण, टीकाराम, हनुमान पिता गंगाराम जाति मीना खाटकलां राहिन सहकारी भूमि विकास बैंक के नाम दर्ज रिकॉर्ड है (प्रदर्श–06)। मिलान क्षेत्रफल भूप्रबंध विभाग के अनुसार इसके साबिक नम्बर 165 में है। विवादित आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 165 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा है। (प्रदर्श–05)। खतौनी बंदोबस्त मौका पड़ाना नियामत सवाई माधोपुर संवत् 2004 लगायत 2023 खाता संख्या 184 माफी घासीदास वल्द नाथूदास बाबाजी सा0 श्यानपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड है। (प्रदर्श–01), जमाबन्दी 2013 से 2016 में विवादित आराजीयात माफी घासीदास वल्द नाथूदास जाति बाबाजी एवं कृषक के कॉलम में अम्बालाल वल्द मनफूल, बदरी पिता खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। (प्रदर्श–02)
प्रदर्श–03 जमाबंदी सम्वत् 2017 के कॉलम नम्बर 5 में गंगाराम पुत्र सालगा का नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तत्पश्चात् संवत् 2021 से 2024 में भी उक्त प्रविष्टि ही दोहरायी गयी है। (प्रदर्श–04) रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 23.03.2018 के अनुसार वर्तमान में विवादित आराजीयात पर अपीलांटगण काबिज काश्त है।

6. प्रकरण में प्रतिवादीगण न तो वाद में न ही अपील में हाजिर आए। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार संवत् 2012 में "माफी" श्रेणी की भूमि पर "खुदकाश्त" के अलावा जो भी काबिज काश्त थे, उनको खातेदारी अधिकार धारा 13, 15 व 19 के अनुसार प्राप्त हो गये है। रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात संवत् 2013 लगायत 2016 में अपीलांटगण के पूर्वज अम्बालाल पुत्र मनफुल के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है, [illegible] संवत् 2017 लगायत 2021 व तत्पश्चात् के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है।

62
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

7. अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा विवादित आराजीयात हाल में रैम्पोसैलगण की खातेदारी भूमि सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के रहन होने के कारण भौतिक कब्जा नही होने तथा कब्जा के आधार पर खातेदारी नही किए जाने के कानूनी प्रावधानों के कारण वाद पत्र खारिज किया गया है।

8. अदालत मातहत द्वारा बिना वाद पत्र के अनुतोष के मद्देनजर कानूनी प्रावधानों के मनन किए बिना विधिक दृष्टांतों पर मनन किए ही वाद को अविधिक रूप से खारिज किया गया है।

9. जैसा कि पैरा नम्बर 05 में अंकन किया जा चुका है कि विवादित आराजीयात सम्वत् 2013–2016 में कृषक के कॉलम में अपीलांट के पूर्वज अम्बालाल पुत्र मनफूल के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड रही है। परन्तु जमाबंदी संवत् 2017–2021 गंगाराम पुत्र सालमा के नाम विवादित आराजीयात बिना किसी आदेश या डिक्री के कृषक के कॉलम में दर्ज रिकार्ड कर दी गई जो अविधिक रूप से की गई है।

10. बंदोबस्त विभाग द्वारा बिना किसी आदेश या डिक्री के पूर्व में चले आ रहे राजस्व रिकार्ड को परिवर्तन करने का अधिकार नही है।

इसी तथ्य का विवेचन माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने 2016(1) आर.आर.टी 374, 2015(2) आर.आर.टी 1214 व 2020(1) आर.आर.टी. 24 पर सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है, जो निम्न प्रकार है:–

"2016(1) आर.आर.टी. 374:– Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 212-Temporary Injunction-Trial Court granted T.I. & restrained the defendants-RAA allowed the appeal & set aside the order-Land was in khatedari of Hardev S/o Dhula Settlement departement entered the name of 'K' in the record-Land was self acquired of Hardev-**Settlement was not competent to change the entries of the record & they are bound to repeat the entries**-Held, order set aside."

"2015(1) आर.आर.टी. 1214:- Rajasthan tenancy Act, 1955-Sec. 88-Suit for declaration of khatedari rights-share of the plaintiff wrongly entered 1/12 instead of 1/8-Suit decreed-Apeal dismissed-Trial Court corrected the error committed by the Settlement department-**Settlement department bound to repeat the entries**-Held, Apeal is devoid of substance & dismissed."

...स्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

"2020(1) आर.आर.टी. 24:– Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sections 88 and 188-Revenue Appeallate Authority set aside the judgment and remanded the case to the trial Court-Land was khudkasht of jagirdar at the time of commencement of the Act-Land recorded as Gochar in Svt. 2020-How the settlement recorded the land as Gochar, not proved-**Settlement is not entitled to change the entry-Land** is not of restricted, category-plaintiff/appellant is entitled for the khatedari rights-Held, Jugments are set aside and suit is decreed."

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2021 अपास्त योग्य पाए जाने से अपास्त किया जाता है। विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 300 रकबा 0.85 है0, खसरा नम्बर 301 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम पढ़ाना तहसील सवाई माधोपुर में से रेस्पोडेन्टगण का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है। विवादित आराजीयात के अपीलांटगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

12. यह निर्णय आज दिनांक 02.01.2023 को सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

02-01-2023

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 12:31:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner